निगरानी 382-I-15

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–छतरपुर

दिनेश पुत्र श्री जगत प्रसाद गौतम,
निवासी– सेवाग्राम वार्ड नम्बर 11,
खुजराहो, जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती नुन्नीबाई पत्नी श्री कल्लू कुशवाह
2. श्रीमती माया पत्नी श्री कमलेश कुशवाह
3. पल्टू पुत्र श्री भौमनिया काछी, निवासीगण राजापुरवा (बमीठा), तहसील राजनगर, जिला छतरपुर
4. मध्य प्रदेश शासन

...... अनावेदकगण

__न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 51 /13–14/ अपील में पारित आदेश दिनांक 19.01.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।__

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

__मामले के संक्षिप्त तथ्य :__

1. यहकि, आवेदक द्वारा ग्राम बमीठा में स्थित भूमि सर्वे क्र. 746/1/क/4 रकवा 0.251 हेक्टेयर पंजीकृत विक्रयपत्र से अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा विक्रय किये जाने पर क्रय की गयी थी एवं विधिवत रूप से कब्जा दिया गया था तत्पश्चात् आवेदक द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 1 ग्राम बमीठा वर्ष 2010–11 आदेश दिनांक 02.07.2011 से नामान्तरण आदेश प्राप्त किया गया था।
2. यहकि, आवेदक के विधिवत नामान्तरण आदेश की कार्यवाही के समय

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी 382-एक/2015 जिला छतरपुर दिनेश विरूद्ध नुन्नीबाई

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 31-12-2018 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से कोई अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण क्रमांक 51/2013-14/अपील में पारित आदेश दिनांक 19-01-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-02-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br>4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।<br>5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता | |
| 31.12.18 | | |

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य